

20-3-24

पत्रावली पेश हुई वकील प्राधी उपास्थित प्रकरण से पूर्व से विपक्षी गण के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए थे। विपक्षी गण को न्यायालय से बार बार रूक रूक कर अवाजे लगाई गई किन्तु सूचना के बावजूद उपास्थित नहीं होने से विपक्षी सं. 1 से 5 तक के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं, प्रकरण से वकील प्राधी द्वारा प्रा. पत्र पर आज ही बहस सुनाये जाने का निवेदन किया गया जिस पर वकील प्राधी की एक तरफा बहस सुनी गई व प्रकरण से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया प्रकरण से प्रस्तुत नकल जमाबंदी से प्राधी गण खाते दार हैं। जो अपनी खातेदारी आराजी की पथर गठी कराने के अधिकारी हैं। अतः प्राधी गण का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा सोर्दशन पुरा प. ह. दौलत पुरा तह. बंगू की आराजी सं. 795/610 रकबा 0.8100 है। भूमि की पथर गठी प्राधी गण व विपक्षी गण की उपास्थित से तहसीलद्वारा बंगू को 1500/- सौ. रू. अक्षरें एक हजार पाँच सौ रू. शुल्क पर कमिश्नर मौके की पथर गठी किये जाने हेतु नियुक्त किया जाता है। उक्त आराजियात की पथर गठी करा पालना रिपोर्ट पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

MX